सं.57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(2)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 20 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- ऐसे कर्मचारियों जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय की सेवा से केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त हुए हैं, को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किया जाने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की बाबत पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का प्रशासित करता है। इस विभाग ने दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी) के निर्देशानुसार ऐसे केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इस का.ज्ञा. के पैरा 7 के अनुसार, उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी, इन निर्देशों की प्रयोज्यता की जांच करने और निर्णय लेने का उत्तरदायी है।

2. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर, जो राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों में की गई अपनी पिछली सेवा में इन निर्देशों की शर्तों को पूरा करते हैं और तत्पश्चात, पिछली सेवा से तकनीकी त्यागपत्र देकर 01.01.2004 के बाद, केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती हुए हैं, दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों के लागू होने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने के लिए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

3. अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. द्वारा जारी निर्देश केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों पर लागू होते हैं। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार में किसी पद/सेवा के सापेक्ष नियुक्ति के लिए दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन सम्मिलित किए गए हैं और उचित अनुज्ञा से किसी अन्य केंद्र सरकार की सेवा में चले गए हैं, वे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन प्रशासित होते रहेंगे।

जारी-

4. तथापि, ऐसे कर्मचारी, जो राज्य सरकार/स्वायत निकाय से उचित तकनीकी त्यागपत्र देने के पश्चात 01.01.2004 को या उसके पश्चात केंद्र सरकार की सेवा में चले गए, के मामलों की जांच पिछली सेवा की गणना के मामले के रूप में की जाएगी। अतः, इन मामलों की जांच इस विभाग के दिनांक 28.10.2009 के का.ज्ञा. के अनुसार की जाएगी।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)